प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून

रोजी-रोटी का अधिकार अभियान द्वारा चाही गयी व्यापक खाद्य
और पोषण सुरक्षा की कानूनी गारंटी पर आधारित

एक प्रवेशिका

भरपेट भोजन, पोषण का अधिकार, भूख से मुक्ति, खेती का पुनरूद्धार
यहीं हों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के आधार

इस श्रंखला में हमारी अन्य प्रवेशिकायें हैं :

- मध्यान्ह भोजन –एक प्रवेशिका
- फोकस (फोकस ऑन चिल्ड्रन अण्डर सिक्स)
- सबके लिये आँगनवाड़ी – एक प्रवेशिका
- सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स ऑन द राईट टू फूड
- रोजगार गारंटी कानून – एक प्रवेशिका

शीर्षक : प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून – एक प्रवेशिका

प्रकाशक : सचिवालय, रोजी–रोटी अधिकार अभियान

5–ए, जंगी हाऊस, शाहपुर जाट, नई दिल्ली

संस्करण : प्रथम

वर्ष : 2010

प्रतियां : 2500

मुद्रक : एमएसपी ऑफसेट, भोपाल

आवरण आकल्पन : अमित सक्सेना

सहयोग राशि : ₹ 15

निजी वितरण हेतु

प्रस्तावना

यह प्रवेशिका हमें संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (दो) सरकार द्वारा प्रस्तावित ''राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून'' के परिप्रेक्ष्य में रोजी रोटी अधिकार अभियान की न्यूनतम मांगों के समूह से परिचय करवाती है।

प्रवेशिका का यह संस्करण पॉवर पाइंट प्रस्तुति ''सरकार क्या कहती है व हम क्या चाहते हैं'' से लिया गया है जो अभियान द्वारा तैयार किया गया है एवं जिसे दिनांक 15 से 19 अप्रैल 2010 को संसद के बाहर आयोजित धरना सह रैली के समापन पर पैनल चर्चा के दौरान प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून पर मंत्रियों के अधिकार समूह (ईजीओएम) द्वारा तैयार प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य 'असुरक्षा' कानून के विरोध में आयोजित इस धरने में पूरे देश से 2500 से भी अधिक लोगों ने भाग लिया।

यह प्रवेशिका संक्षिप्त एवं सरल तरीके से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के माध्यम से देश के लोगों को प्रदान की जाने वाली कानूनी गारंटियों को प्रस्तुत करती है। इस प्रवेशिका में सभी योजनाओं के सर्वव्यापीकरण को सुनिश्चित करने के लिये देश में धान की उपलब्धता एवं खाद्य भंडार के संबंध में तर्क व साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं। यह प्रवेशिका इस सिद्धान्त को भी स्थापित करती है कि कैसे सकारात्मक प्रयास सर्वव्यापीकरण में समावेशित किये जा सकते हैं।

इन सबसे ऊपर यह वह तरीके भी बताती है, जिससे अनाज व दालों के उत्पादन को बढावा देने के लिये कृषि को प्रोत्साहित व पुनर्जीवित किया जा सकता है। यह खाद्य पर्याप्तता पर चर्चा करते हुए खाद्य संप्रभुता के सिद्धान्त को भी स्थापित करती है। यह प्रवेशिका स्थानीय खरीदी व स्थानीय भंडारण की गारंटी देने पर भी जोर देती है। अंत में देश के सामाजिक रूप से कमजोर एवं वंचित लोग, बच्चे, बुजुर्गों व अन्य सभी निवासियों के खाद्य एवं पोषण की आवश्यकता को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पूरा करने के लिये हर समय सही खाद्य वितरण की बात कहती है।

यह प्रवेशिका दर्शाती है कि किस तरह संरचनात्मक भूख और कुपोषण भारत देश में कम की जा सकती है और यह भी बताती है कि कैसे हम सभी के कुपोषण, भूख एवं अन्य कमियां जो कि खाद्यान्न की कमी से जुड़ी हुई है से मुक्त रहने के मूलभूत अधिकार को सुनिश्चित कर सकते हैं जिसके चलते सभी को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पर्याप्त एवं पोषणयुक्त भोजन के लिए पहुंच हो। (दिनांक 12 सितम्बर 2009 के अभियान के कार्यकारी ड्राफ्ट से लिया)

इस वर्तमान संस्करण के लिये हम अनुराधा तलवार व माधुरी के आभारी हैं। यह अभियान द्वारा खाद्य पात्रता बिल 2009 के संदर्भ में तैयार किए कार्यकारी ड्राफ्ट से लिया गया है जो कि 12 सितम्बर 2009 को जारी किया गया था। यह वर्किंग ड्राफ्ट साझे विमर्शों में उभरे विचारों से बनाया गया है जिसमें अभय शुक्ला, अंजली भारद्वाज, एनी राजा, अनुराधा तलवार, अरूण गुप्ता, अरूंधती धुरू, अशोक खण्डेलवाल, बिराज पटनायक, कोलिन गोंन्जाल्विस, दीपा सिन्हा, हर्ष मंदर, ज्यां द्रेज, कविता श्रीवास्तव, किरण, मीरा शिवा, माधुरी, मानस रंजन, पॉल दिवाकर, राधा होल्ला, सचिन जैन, शिराज बलसारा, वंदना प्रसाद, रीतिका खेरा, देविका सिंह, वी. सथीश, देविन्दर शर्मा, कविता कुरुघंती, राजेश कृष्णन, आशा मिश्रा, के.एस. गोपाल व कई अन्य सम्मिलित हैं।

यह प्रवेशिका अभी बेहतरी की ओर अग्रसर है, इसमें हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं।

रोजी रोटी अधिकार अभियान, सचिवालय

दिनांक : 01 अगस्त 2010

ऐसे हैं हालात!

देश में खाद्य असुरक्षा और भुखमरी की स्थिति कितनी गंभीर है?

देश का पहला बजट 200 करोड़ रूपये का था। 60 वर्षों में इसका आकार 200 करोड़ से 10 लाख करोड़ रूपये पर पहुंच गया। पर अफसोस यदि कुछ नहीं बदला तो गरीबी और भुखमरी का दर्द। हम गर्व से नहीं कह सकते हैं कि आर्थिक विकास ने लोगों को भूखी रातों से मुक्ति दिला दी है। यहां आज भी हर रोज 42 करोड़ लोग पेट भरे बिना नींद के आगोश में जाते हैं।

सवाल यह है कि बजट जब 5000 गुना बढ़ता है, तब अनाज उत्पादन चार गुना ही बढ़ पाता है। ग्रामीण भारत में 23 करोड़ लोग अल्पपोषित हैं, 50 फीसदी बच्चों की मृत्यु का कारण कुपोषण है। 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग में हर 3 में से एक व्यक्ति कमजोर है। सरकार लगभग 22.8 करोड़ टन अनाज उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने की जद्दोजहद में है परन्तु वर्ष 2015 में इसे अपनी जरूरत पूरा करने के लिए 25 से 26 करोड़ टन अनाज की जरूरत होगी, यह पूरा हो पाना संदेहास्पद है। दुनिया की 27 प्रतिशत कुपोषित जनसंख्या केवल भारत में रहती है।

5 वर्ष से कम उम्र के 70 फीसदी बच्चों में खून की कमी है। 19 में से 11 राज्यों में 75 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे एनीमिया के शिकार हैं। मतलब यह है कि भारत का विकास आंकड़ों का मकड़जाल है। यह लोगों की जिन्दगी में बदलाव का सूचक नहीं है।

1972–73 में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 15.3 किलोग्राम अनाज को उपभोग होता था, अब वह 12.22 किग्रा प्रतिमाह आ गया है। 2005–06 में एक सदस्य औसतन उपभोग 11.920 किग्रा था और वहीं 2006–07 में औसत भोजन का उपभोग घटकर मात्र 11.685 (1.97 प्रतिशत कम) किग्रा प्रति व्यक्ति रह गया।

एक तरफ तो लोग भूखे सोने पर मजबूर हैं और दूसरी तरफ लाखों मीट्रिक टन अनाज खुले में पड़ा है। भारत में 415 लाख टन अनाज सुरक्षित रखे जाने की क्षमता है। 190 लाख टन अनाज केवल पन्नियों के नीचे असुरक्षित परिस्थितियों में पड़ा है। इस अनाज के त्वरित वितरण से एक बड़े हिस्से को राहत पहुंचाई जा सकती है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के 35 किलो अनाज वितरित करने के निर्देश का भी पालन नहीं किया जा रहा है और 20 से 25 किलो अनाज ही बांटा जा रहा है। खुले में रखे इस अनाज का उपयोग इस अंतर को खत्म करने में किया जा सकता है। 600 लाख टन अनाज के भंडारण के बावजूद इस राजनैतिक–प्रशासनिक इच्छाशक्ति का अभाव है कि इसे गरीब और सबसे वंचित वर्ग तक पहुंचाया जा सके।

भुखमरी और खाद्य असुरक्षा के मूल कारण क्या हैं?

1. आजादी के बाद से ही यह मान लिया गया कि विकास तो औद्योगिकीकरण से ही होगा। आर्थिक नीतियां ही ऐसी बनाई गईं जिनमें खेती को ''अकुशल श्रम'' माना गया और खेती के श्रम के मूल्य को कम आंका गया। सरकारों द्वारा शहरी क्षेत्र, उद्योगों और नौकरशाहों को तरह–तरह की सब्सिडी भी दी गई, जिससे वे तो तेजी से सम्पन्न हुए और किसान, ग्रामीण मजदूर और गाँव गरीब होते गए।

2. ''हरित क्रांति'' औद्योगिक कम्पनियों द्वारा बनाई गई और गरीब देशों पर थोपी गई। इसके तहत ऐसे ''उन्नत बीज'' तैयार किये गये जो कम्पनियों द्वारा निर्मित खाद और दवा पर ही निर्भर रहें। मध्यप्रदेश सहित 5 राज्यों में गेहूं उत्पादन पर किये गये एक अध्ययन में सामने आया कि 1970–81 में प्रति हैक्टेयर औसतन लागत 561 रूपये थी, जो 1981–90 में बढ़कर 1503 रूपये हुई और 2004–05 में बढ़कर 7673.70 रूपये तक पहुंच गयी।

   इससे कम पानी, खाद, और दवा मांगने वाली पारम्परिक खेती लगभग खत्म हो गई। खेती ''बाजार द्वारा नियंत्रित'' और ''बाजार के लिए'' होने लगी। किसान कर्ज में फंसता गया पौष्टिक और आसानी से उगने वाले ''मोटे अनाज'', दलहन और तिलहन की निरंतर उपेक्षा की गई और इनका उत्पादन लगातार घटता जा रहा है। मशीनीकरण से लाखों ग्रामीण मजदूर बेरोजगार हुये हैं ।

3. अब ''दूसरी हरित क्रांति'' का हमला शुरू हो गया है। इसमें ठेका खेती, कम्पनियों द्वारा सीधी खेती व उद्योगों के लिए खेती शामिल है। अब डीज़ल के लिए गन्ना, मक्का और अन्य अनाज का भी उपयोग किया जा रहा है। कृषि को पूरी तरह कम्पनियों के कब्जे में किये जाने की योजना है।

4. खाद्यान्न उत्पादन में उपयोग की जा रही जमीन और पानी को छीनकर उद्योगों को देने में खाद्यान्न सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? लाखों आदिवासियों को पालने वाले जंगलों को खदानों और फैक्ट्रियों के लिए नष्ट किया जा रहा है। इस पर रोक लगनी चाहिये।

एक सर्वव्यापी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की जरूरत

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून सर्वव्यापी क्यों होना चाहिये?

इन परिस्थितियों में तेंदुलकर कमेटी ने खाली पेट को न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया है। कमेटी के मुताबिक गांव के लोग 1999 कैलोरी और शहरों में

लोग 1770 कैलोरी पर जिंदा रह सकते हैं। ये तर्क इंडियन कौंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के उन मानकों से बिलकुल मेल नहीं खाते जिनके मुताबिक ग्रामीणों के लिए 2400 कैलोरी और शहरियों के लिए 2100 कैलोरी न्यूनतम जरूरत है। श्रम करने वालों को तो 3400 से 3800 कैलोरी के भोजन की हर रोज जरूरत होती है। इस लिहाज से भुखमरी को मिटाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून को लोकव्यापी बनाने की जरूरत है। इसी तरह जब सरकार योजना आयोग के माध्यम से इसी कमेटी के इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है कि भारत में 37.2 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं तब यह तय हो पाता है कि चालीस प्रतिशत लोग भूख के साथ जीने को मजबूर होंगे, क्योंकि अर्जुनसेन गुप्ता, उत्सा पटनायक और नेशनल न्यूट्रिशनल मॉनीटिरिंग ब्यूरो के मुताबिक 75 से 78 प्रतिशत लोगों को पूरा पोषण और भोजन नहीं मिलता है।

गरीबी की रेखा बहिष्कार की प्रक्रिया को बुनती है जिसमें दलित, आदिवासी, एकल महिलाएं, वृद्ध बच्चे, विकलांग और दूसरे वंचित वर्ग खाद्यान्न योजनाओं से वंचित हो जाते हैं। इन्हीं परिस्थितियों में जब जरूरत के मान से हकों का निर्धारण नहीं होता है तब भ्रष्टाचार पनपता है और गैर–जवाबदेहिता की स्थिति में लोगों तक उनके अधिकार नहीं पहुंच पाते हैं। गरीबी की रेखा के छोटे होते जाने के कारण ज्यादातर लोग खुले बाजार के शोषण के शिकार होते हैं। भुखमरी से मुक्ति, जीवन के अधिकार, शोषण को चुनौती देते हुए समानता आधारित जवाबदेय व्यवस्था की स्थापना खेती–प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का सर्वव्यापी होना ही एकमात्र विकल्प है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की व्यापकता को किस नजरिये से देखा जाना चाहिये?

''खाद्य असुरक्षा'' का प्रमुख कारण है कृषि क्षेत्र के लगातार शोषण से उत्पन्न उसमें मौजूदा संकट। हालात यह हैं कि आज देश की 66 प्रतिशत आबादी सीधे कृषि पर निर्भर है, पर इस आबादी का देश की कुल कमाई में हिस्सा केवल 17 प्रतिशत है। दूसरी तरफ निजी कंपनियों का एक प्रतिशत से भी कम होने के बावजूद वह देश की 33 प्रतिशत कमाई पर अपना दावा करता है। असली ''खाद्य सुरक्षा'' तभी मिल सकती है जब न केवल शोषण और विस्थापन की नीतियाँ बदलें, बल्कि भारत की राजनैतिक अर्थव्यवस्था ही बदली जाए।

गरीबी की रेखा को क्यों खत्म किया जाना चाहिये?

बीपीएल तथा एपीएल के विभाजन के बजाए सभी को राशन की दुकानों पर खाद्यान्न मिलना चाहिए। लक्षित वितरण प्रणाली ''उदारीकरण'' से जुड़ी साम्राज्यवादी ताकतों के दबाव में लागू की गई थी, ताकि समर्थन मूल्य पर खरीदी

व सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोनों ही खत्म हो जाए। जबरन घटाई जा रही गरीबी रेखा के परिवारों की संख्या भी इसका हिस्सा है।

इंडियन कौंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के अनुसार छोटे से छोटे परिवार को 50–60 किलो अनाज प्रतिमाह मिलना ही चाहिए। साथ ही 5–6 किलो दाल व 3 किलो तेल भी मिलना चाहिए।

क्या इतने आर्थिक संसाधन जुटाये जा सकते हैं ?

ऐसी विस्तृत व पुख़्ता राशन व्यवस्था या स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसी हमारी वाजिब मांगों पर बताया जाता है कि सरकार के पास पर्याप्त धन नहीं है। जबकि वास्तविकता यह है कि सरकार के पास धन तो है परन्तु इच्छाशक्ति नहीं है। विकास की आसन्न जरुरतों के बावजूद भारत में टैक्सों की दर अनेक विकसित राष्ट्रों से कम है। यह हमारे सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 18.5 प्रतिशत है जबकि अमेरिका जैसे अमीरों के हितैशी राष्ट्र में यह 25.4 प्रतिशत है। वहीं स्वीडन में यह 50.7, डेनमार्क में 49.6 एवं बेल्जियम में 45.6 प्रतिशत है।

रोजी–रोटी अधिकार अभियान की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के लिये मांगें क्या हैं?

अधिकार – हर परिवार (पांच सदस्य) के लिये 50 किलो अनाज, 5.25 किलो दाल और 2.8 किलो खाद्य तेल का अधिकार होना चाहिए।

इकाई – व्यक्ति या एकल परिवार को इकाई माना जाना चाहिए। राशन कार्ड महिलाओं के नाम से हो।

मोटे अनाज, दलहन व तिलहन को प्रोत्साहन – राशन व्यवस्था में ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी जैसे ''मोटे अनाज'' दाल व खाद्य तेलों का भी वितरण होना चाहिए इसी से कुपोषण पर रोक लग सकती है। इन खाद्यान्नों की उपेक्षा के कारण शक्कर की बीमारी, प्रोटीन की कमी की बीमारी इत्यादि बहुत तेजी से ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रही है।

बीपीएल और एपीएल का खत्मा – खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बीपीएल और एपीएल को पात्रता का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। तमाम अध्ययन और रिपोर्ट बताती हैं कि 75 से 78 फीसदी जनसंख्या पोषण, भोजन और मूलभूत व्यवस्थाओं से वंचित हैं।

खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे – अधिनियम यह भी सुनिश्चित करे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों तथा मौजूदा योजनाओं में दिए सभी अधिकारों को न केवल इसमें शामिल करें, बल्कि उनका विस्तार करे। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अधिकारों

को अन्य अधिकारों से अलग करके नही देखा जा सकता है। अतः इस अधिनियम का विस्तार अन्य अधिकारों मसलन वृद्धावस्था पेंशन योजना, मातृत्व अधिकार, बच्चों के अधिकार व राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तक किया जाए।

सजा – राशन व्यवस्था में भ्रष्टाचार जमाखोरी इत्यादि के लिए सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए।

सरकारी खरीदी व वितरण की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था होना चाहिए। सरकारी गेहूं की अधिकांश खरीदी पंजाब–हरियाणा से व चावल की खरीदी आंध्रप्रदेश से हो रही है, जिससे अन्य राज्य खाद्यान्न उत्पादन के मामले में भेदभाव के शिकार होकर हतोत्साहित हुये हैं। इस व्यवस्था से पीडीएस के तहत प्रबंधन, प्रशासन और परिवहन पर होने वाले भारी–भरकम व्यय को बहुत कम किया जा सकेगा और भ्रष्टाचार (लीकेज) में भी कमी आयेगी।

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण – इसके साथ ही अनाज/खाद्यान्न के सार्वजनिक वितरण की व्यवस्था भी विकेन्द्रीकृत होना चाहिये। सुझाव यह है कि स्थानीय स्तर पर खरीदे गये अनाज का वितरण उसी स्तर पर करने की व्यवस्था की जाये। जिन राज्यों/ जिलों/ इलाकों में जरूरत पूरी करने लायक अनाज उत्पादन नहीं होता है, वहां उत्पादन को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाये। तब तक ज्यादा उत्पादन करने वाले राज्यों/ जिलों/ इलाकों से अनाज की आपूर्ति कर उनकी जरूरत को पूरा किया जाना चाहिये।

कृषि भूमि का उपयोग परिवर्तन (डायवर्जन) उद्योगों, सेज या गैर–कृषि उपभोग के लिये नहीं किया जाना चाहिए। जल स्रोतों पर पहला हक कृषि का हो। तथा तंत्र को भी दुरूस्त किया जाना चाहिए, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगे।

जैविक ईंधन के लिये खाद्यान्न उत्पादन और उपभोग की नीति को तत्काल प्रतिबंधित किया जाना चाहिये।

खाद्यान्न निर्यात–आयात पर प्रतिबंध – स्पष्ट हो चुका है कि भारत गंभीर खाद्य असुरक्षा की स्थिति में पहुंच चुका है। ऐसे में नीतिगत रूप से सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि देश में भुखमरी और कुपोषण खत्म होने तक अनाज–खाद्यान्न का निर्यात पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर अनाज–खाद्यान्न के आयात पर भी रोक रहेगी। जीनान्तरित बीज पर प्रतिबन्ध होगा। निजी कम्पनियों की सरकारी खरीदी, संग्रहण व वितरण व्यवस्था में कोई भी भागीदारी नहीं होगी।

पोषण सुरक्षा और राज्य की बाध्यतायें

पोषण सुरक्षा के बारे में राज्य की संवैधानिक बाध्यतायें क्या हैं ?

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 हर एक के लिए जीवन और स्वातंत्र्यता का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। इस अनुच्छेद के तहत उपलब्ध जीवन और स्वातंत्र्यता के अधिकार में भोजन का अधिकार सम्मिलित है;
- संविधान का अनुच्छेद 47 कहता है कि लोगों के पोषण और जीवन के स्तर को उठाने के साथ ही जनस्वास्थ्य को बेहतर बनाना राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

पोषण सुरक्षा के बारे में राज्य की अंतर्राष्ट्रीय बाध्यतायें क्या हैं ?

- मानव अधिकारों पर जारी अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र (1949) की धारा–25 हर व्यक्ति के लिये पर्याप्त भोजन के अधिकार को मान्यता देती है।
- आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय सहमति दस्तावेज की धारा–11 (1966) और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति हर व्यक्ति को भूख से मुक्त रखने के संदर्भ में राज्य की जिम्मेदारियों की विस्तार से व्याख्या करती है।
- इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार समझौते (धारा–27.1 और 27.3) और महिलाओं के खिलाफ होने वाले हर तरह के भेदभाव की सामाप्ति के लिये सम्मेलन (सीडा) के घोषणा पत्र (धारा–12) महिलाओं और बच्चों की खाद्य–पोषण सुरक्षा के बारे में राज्य की जिम्मेदारी को स्पष्ट करते हैं।
- भारत ने मानव अधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा–पत्र आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के घोषणा पत्र और बाल अधिकार समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

पोषण सुरक्षा का क्या मतलब है?

किसी भी व्यक्ति की अपने जीवन चक्र में ऐसे विविधता पूर्ण पर्याप्त मात्रा में पहुंच सुनिश्चित होना जिसमें जरूरी कार्बोहाईड्रेट, प्रोटीन, वसा, सूक्ष्म पोषण तत्व की उपलब्धता हो। इन तत्वों की आपूर्ति अलग–अलग तरह के अनाजों, दालों, तेल, दूध, अण्डे, सब्जियों और फलों से होती है इसलिये इनकी उपलब्धता और वहन करने की परिस्थितियां बननती चाहिये। इसी तारतम्य में पीने के साफ पानी की उपलब्धता जरूरी है।

परन्तु पोषण सुरक्षा से सरकार क्या समझ रही है?

खाद्य सुरक्षा पर सरकार की समझदारी इतनी सीमित है कि वह भूख का मजाक बनाती है। सरकार खाद्यान्न असुरक्षित (भूखे रहने वाले) लोगों को कम मात्रा में चावल और गेहूँ दे देने को ही खाद्य सुरक्षा समझ रही है।

'और खाद्य सुरक्षा' की बहस क्या है?

पूरी बहस को सरकार ने कितने किलोग्राम अनाज मिले ? और कितने लोगों को मिले जो बीपीएल यानी गरीबी की रेखा से नीचे माने जा रहे हैं, के आसपास केन्द्रित करने की कोशिश की है पर हम व्यापक खाद्य सुरक्षा और सबके लिये खाद्य सुरक्षा का कानून चाहते हैं।

हमें क्या कानूनी गारंटी चाहिए?

हमें गारंटी चाहिए कि कोई भी महिला, पुरुष और बच्चा कुपोषित और भूखा न रहे, यदि ऐसा होता है तो इसके लिए राज्य को जिम्मेदार और जवाबदेह होना होगा।

2009 के चुनाव में कांग्रेस के घोषणा–पत्र में किए गए वादे

लोकसभा चुनाव के दौरान कई राजनीतिक पार्टियों ने भोजन के अधिकार को लेकर वादे किये थे उनमें से ''भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा–पत्र में भोजन के अधिकार का एक कानून बनाने का वादा किया है, जो सब लोगों, खासकर जो सबसे ज्यादा वंचित हैं, को पर्याप्त पोषणयुक्त भोजन मुहैया कराने की गारंटी दे।''

इस घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि

- गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले हरेक परिवार को 3 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से 25 किलोग्राम अनाज पाने का हक होगा।
- बेघर और प्रवासी लोगों के लिए सामुदायिक रसोई घर
- खास तौर पर कमजोर तबके जैसे– एकल महिला परिवारों, विकलांगों, बुजुर्गों, शहरी गरीबों, मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों, आदिम जनजातियों और अति पिछड़े दलित समुदायों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना
- पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील इलाके के किसानों को सीधे आमदनी में मदद देना
- यह सुनिश्चित करना कि खेती फायदेमंद बने

- न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसान के दरवाजे से फसल की खरीद
- आईसीडीएस को लोकव्यापी बनाना, जिसमें छह साल की उम्र से कम के सभी बच्चों के लिये भोजन, पोषण और स्वास्थ्य की पूरी सेवायें शामिल होंगी।

किन मायनों में सरकार की ''खाद्य सुरक्षा'' का दायरा सीमित नजर आता है?

- प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून सिर्फ 25 किलो अनाज सस्ती दरों पर देने की बात करता है।
- यह सीमित अनाज सुरक्षा दे रहा है, न कि पोषण सुरक्षा।
- सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए हर परिवार को प्रति माह 35 किलो अनाज के मौजूदा हक को भी यह प्रस्तावित कानून छीन रहा है।

क्या इस रूप में यह खोखली ''खाद्य सुरक्षा'' नहीं है?

बिल्कुल, प्रस्तावित कानून उत्पादन के पक्ष को ध्यान में रखे बगैर ही खाद्य सुरक्षा देने की बात करता है – मानो अनाज की खरीदी और वितरण, इसके उत्पादन से एकदम अलग किए जा सकते हों। वास्तव में उत्पादन, खरीदी और वितरण तीनों को एक साथ ध्यान में रखना चाहिए।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में अनिवार्यतः क्या होना चाहिए?

हमारा मानना है कि –

- बुनियादी जरूरतें जैसे– भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा सबको समान रूप से मुहैया होना चाहिए।
- देश के सभी निवासियों को इसके दायरे में लाना चाहिए।
- सर्वव्यापी सेवाओं के साथ ही, इसमें सामाजिक रूप से वंचित तबकों के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए।

गरीबी की रेखा का जाल

मौजूदा सरकार का नजरिया क्या है?

मौजूदा सरकार का नजरिया यह है कि सिर्फ सीमित संख्या के लोगों को ही फायदा पहुंचे। इस बात को यूं समझ सकते हैं –

सरकार द्वारा गठित मंत्रियों के सशक्त समूह' द्वारा बीपीएल का निर्धारण योजना आयोग की ओर से दिए गए गरीबी के आंकड़ों के आधार पर किया जा रहा है। फिलहाल योजना आयोग ने तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट के प्रस्ताव को माना है, जिसके मुताबिक देश में 37.2 प्रतिशत लोग गरीब हैं।	मतलब यह कि प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून सिर्फ 37.2 फीसदी जनता को ही सस्ता अनाज मुहैया कराएगा। जबकि 75 से 80 फीसदी लोगों को पूरा पोषण नहीं मिलता है।

तेंदुलकर कमेटी द्वारा बताये गये गरीबी के स्तर का मतलब क्या है?

इसका मतलब है और ज्यादा वंचितपन!

- तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट में गरीबी रेखा के मानक है : ग्रामीण क्षेत्रों में 1776 कैलोरी व शहरी क्षेत्रों में 1999 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का खपत।
- यह आईसीएमआर यानी इंडियन कांउसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की ओर से तय मानक से काफी कम है। आईसीएमआर ने औसत भारतीय के लिए ग्रामीण इलाकों में रोजाना 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति और शहरी इलाकों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति का मानक तय किया है।
- इसलिए तेंदुलकर कमेटी की इस गरीबी रेखा पात्रता का आधार मानने वाली भोजन योजनाओं में कई ऐसे लोग छूट जाएंगे जो वास्तव में भूखे और वंचित हैं।

गरीबी की रेखा के मामले में और क्या दिक्कतें हैं?

बीपीएल आंकड़ों में खामियां	
▸ योजना आयोग की ओर से तय गरीबी रेखा जमीनी हकीकत को व्यक्त नहीं करती। ▸ राज्य सरकारों पर बीपीएल सूची में लोगों की संख्या कम करने का दबाव बनाया जा रहा है। बीपीएल सूची बनाने में सभी प्रकार की हेरा–फेरी और भ्रष्टाचार के लिए गुंजाइश छोड़ी जा रही है।	▸ ज्यादातर राज्यों में अक्सर राज्य सरकारों को योजना आयोग द्वारा तय बीपीएल सूची के दायरे से बाहर जाना पडता है। ▸ मुश्किल यह है कि किसे शामिल किया जाए, किसे छोड़ा जाए क्योंकि इसमे भयंकर त्रुटियां हैं। ▸ बीपीएल के जरिए गरीबों की व्यवस्थित पहचान असंभव साबित हो रही है।

ऐसे में बहिष्कार और वंचना से सुरक्षा के लिये गरीबी की रेखा के मापदण्ड को नकारना जरूरी है क्योंकि –

- गरीबी की रेखा से बहिष्कार को प्रोत्साहन मिलता है। खाद्य सुरक्षा में लोकव्यापीकरण के सिद्धान्त से ही दलित, आदिवासियों और सामाजिक रूप से वंचित समुदायों को भोजन का अधिकार मिल सकेगा।
- कार्यक्रमों के लक्षित होने पर यही समुदाय वंचितपन के शिकार होते हैं।

पोषण सुरक्षा ही क्यों चाहिये!

पोषण सुरक्षा के लिये हमारी मांगें क्या हैं?

हम एक लोकव्यापी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मांग करते हैं ताकि देश में खाद्य सुरक्षा से पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

आईसीएमआर के मानकों के मुताबिक, सामान्य रूप से एक सक्रिय पुरूष के लिए रोजाना 2700 कैलोरी की जरूरत मानक होना चाहिए। इस हिसाब से हर परिवार को इतना भोजन मिलना ही चाहिये :

- अनाज– प्रति व्यक्ति 14 किलो हर महीने (50 किलो 5 लोगों का एक परिवार)
- खाद्य तेल– 800 ग्राम प्रति व्यक्ति (2.8 किलो प्रति परिवार)
- दालें– 1.5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह (5.25 किलो प्रति परिवार प्रति माह)

इसमें मोटे अनाज को शामिल करना जरूरी है क्योंकि ये पौष्टिक स्वास्थ्यवर्धक, सस्ते और प्रायः पारम्परिक रूप से पसंद किए जाते हैं।

वास्तव में एक औसत आकार के परिवार की खाद्यान्न जरूरत कितनी होती है?

इंडियन कौंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 5 सदस्य परिवार के लिए मासिक जरूरत इतनी होती है –

सदस्य	अनाज (किलो)	दाल (किलो)	खाद्य तेल (ग्राम)
औसत मेहनत करने वाला पुरूष	14.4	2.7	1050
औसत मेहनत करने वाली महिला	10.8	2.25	900
1–6 वर्ष का बच्चा	5	1.1	675
7–12 वर्ष का बच्चा	9	1.8	750
बुजुर्ग/तीसरा बच्चा	9	1.8	675
कुल	**48.2**	**9.65**	**4050**

खाद्य सुरक्षा कानून में मोटे अनाज की हमारी मांग का क्या मतलब है?

हम चाहते हैं कि

1. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में मोटे अनाज को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये**

   भारत सरकार को खाद्य सुरक्षा के लिये किये जाने वाले आवंटन में से एक पर्याप्त हिस्सा मोटे अनाजों की खेती और खाद्यान्न व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिये करना चाहिये, जिससे इसका खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में ज्यादा उपयोग हो। ये अनाज जलवायु परिवर्तन और पानी की कमी के संकट के मौजूदा दौर में भोजन और कृषि उत्पादन की समस्या से निपटने में सक्षम है। अतः देश की खाद्य सुरक्षा को रूप देने में इन फसलों को प्राथमिकता दी जाये।

2. **मोटे अनाज को भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल किया जाये**

   (अ) मोटे अनाज को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल करते हुये वर्ष 2010 में 5 किलो के प्रावधान से शुरूआत की जाये और सुनिश्चित किया जाये कि वर्ष 2020 तक पीडीएस की पात्रता में 50 प्रतिशत हिस्सा मोटे अनाजों का होगा।

   (ब) इसमें साथ ही एकीकृत बाल विकास परियोजना, मध्यान्ह भोजन, कल्याणकारी छात्रावास और अन्य सरकारी योजनाओं में हफ्ते में कम से कम दो बार भोजन में मोटा अनाज दिया जाये।

आखिर पोषण और खाद्य सुरक्षा के लिये क्यों जरूरी है मोटा अनाज (मिलेट्स)?

- मोटे अनाज से न केवल खाद्यान्न और चारे की सुरक्षा की स्थिति आयेगी बल्कि इससे स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका और पर्यावरणीय सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
- मोटे अनाज के उत्पादन में चावल से कहीं कम पानी की जरूरत होती है।
- मोटे अनाज पोषण तत्वों से भरपूर होते हैं, इसमें खूब व्यापक और सूक्ष्म पोषण तत्व होते हैं।

  उदाहरण के लिये बाजार में 16 मिलीग्राम लौह तत्व होते हैं जबकि चावल में

केवल 0.7 मिग्रा। इसी तरह रागी में 344 मिग्रा केल्शियम होता है जबकि चावल में मात्र 10 मिग्रा।

क्या 'मोटे अनाज की पौष्टिकता बहुत ज्यादा होती है?

हां, मोटे अनाज की पौष्टिकता अन्य अनाजों की तुलना में ज्यादा होती है।

अनाज	प्रोटीन (ग्राम)	रेशा (ग्राम)	मिनरल (ग्राम)	आयरन (मि.ग्राम)	कैल्शियम (मि.ग्राम)
बाजरा	10.6	1.3	2.3	16.9	38
रागी/नाचनी	7.3	3.6	2.7	3.9	344
कांग/भादी	12.3	8	3.3	2.8	31
वराई	12.5	2.2	1.9	0.8	14
कोदो	8.3	9	2.6	0.5	27
कुटकी	7.7	7.6	1.5	9.3	17
सावा/बट्टी	11.2	10.1		15.2	11
चावल	6.8	0.2	0.6	0.7	10
गेहूँ	11.8	1.2	1.5	5.3	41

खेती के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जोड़ कर हम कैसे देखते हैं?

हम मानते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विस्तार से खेती पुर्नजीवित हो। देश कई तरह के कृषि संकट से जूझ रहा है ऐसे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे को बढ़ाने के लिए सरकार को अनाज की ज्यादा खरीद करनी होगी, जिससे उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। देश में कृषि अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करने की दिशा में यह अहम रास्ता बन सकता है।

नीतियों में चाहिये बदलाव

क्या अनाज की सरकारी खरीद के साथ भी इसका जुड़ाव है?

विस्तारित पीडीएस के साथ नई खरीद नीति

- खरीद सभी मंडियों से हो ताकि सरकारी खरीद का फायदा सभी इलाकों को मिले न कि सिर्फ पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और उत्तरप्रदेश के कुछ इलाकों से, जैसा कि फिलहाल होता है।

- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मोटे पौष्टिक अनाज, दालें और तिलहन की खरीद इन फसलों को सहारा देंगी जो फिलहाल कम और अनिश्चित दाम और कम निवेश के चलते उपेक्षित है।
- यह फसलें असींचित भूमि पर आसानी से उग जाती है और इनमें पानी व अन्य लागत भी बहुत ज्यादा नहीं है।
- खरीद उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होनी चाहिए।
- मोटे अनाज और दालों का समर्थन मूल्य अभी बहुत कम है। दालों की कीमतों में हालिया चढ़ाव के दौरान भी किसान ने दालें 25–35 रू. किलोग्राम के भाव पर बेची। मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 27.6 रूपये प्रतिकिलो, तुअर का 23 रूपये किलो था जबकि खुदरा भाव 65 से 120 रूपये प्रति किलो तक रहे।
- उपभोक्ताओं पर ऊंची कीमत की मार पड़ी जबकि किसानों को इसका कोई फायदा नहीं मिला। यहां तक कि मोटे अनाज में भी किसान को मिले भाव और खुदरा भाव में 30–50 प्रतिशत का फर्क था।

स्थानीय खरीद का स्थानीय वितरण

जिला/जोन स्तर से बाहर से खरीदे गए अनाज को अंतिम विकल्प के तौर पर तभी इस्तेमाल में लाना चाहिए अगर स्थानीय खरीद कम हो। इससे –

- भण्डार और ढुलाई–भाड़े के खर्चो में काफी कमी आएगी।
- इस प्रकार की खरीद से सभी इलाकों के किसानों को लाभ पहुंचेगा।
- स्थानीय अनाज को पहले स्थानीय स्तर पर वितरित किया जाएगा।
- इस प्रकार वितरित खाद्यान्न की आवाजाही की आसानी से निगरानी हो पाएगी, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

फिर भी कई ऐसे इलाके हैं जहां खाद्यान्न कि किल्लत है। इसलिए यह जरूरी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कमी वाले इलाकों में खाद्यान्न पहुंचाना केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो जन वितरण प्रणाली का बुनियादी मकसद रहा है।

हर ब्लॉक में अन्न भण्डारण के लिए भंडार होने चाहिए, वर्तमान में उचित भण्डारण की कमी के कारण हजारों टन अनाज सड़ रहा है। सरकार न तो इस अनाज के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था कर रही है और न ही इसे भूखे लोगों में वितरित कर रही है।

स्थानीय खरीदी, भण्डारण और वितरण के जरिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये गांव स्तर पर अनाज बैंक स्थापित किये जायें।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के हिसाब से खाद्यान्न नीतियों में किस तरह के बदलाव चाहिये?

खाद्य उत्पादन में वृद्धि, उपलब्धता व पोषण के लिए जरूरी नीतियां

- जब तक देश से कुपोषण समाप्त न हो जाए तब तक खाद्यान्न के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाये। अमीर देशों में पशु और पोल्ट्री में गरीब देशों से आयातित अनाज खिलाया जा रहा है जबकि हमारे देश के गरीब भूखे रह रहे हैं।
- जैव ईंधन और शराब के उत्पादन में अनाजों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाए।
- किसानों को अनुचित रियायती अनाज की डंपिग से बचाया जाये अगर किसानों को उचित सरकारी नीतियों का समर्थन मिले तो वे पूरे देश को खिलाने के लिए अनाज उपजा सकते हैं।
- जल, जमीन व सभी प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक खाद्यान्न का होना चाहिए। खाद्यान्न उत्पादन से छीन कर जल, जंगल, जमीन का जबरन हस्तान्तरण नहीं होनी चाहिए।
- कृषि के कम्पनीकरण पर रोक व खेती पर खाद्य–व्यवसाय कम्पनियों के नियंत्रण से मुक्ति।
- जीनांतरित (जीएम/बीटी) बीजों पर प्रतिबंध, जीएम खाद्य सामग्री के आयात और सरकारी योजनाओं में जीएम खाद्य सामग्री के उपयोग पर रोक।
- खाद्यान्न में वायदा बाजार पर प्रतिबंध।
- ठेका खेती सहित कम्पनियों और ठेकेदारों के खाद्य उत्पादन, खाद्य व्यापार, नियामक संस्थाओं व शासकीय खाद्य योजनाओं में प्रवेश पर रोक।
- सरकार का निजी क्षेत्र के साथ ऐसा कोई अनुबंध नहीं होना चाहिए, जिससे हितों का टकराव हो।
- सरकार सभी के लिए साफ पेयजल और स्वच्छता की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।

अनाज की आवश्यकता और आर्थिक संसाधनों के पहलू

हम जो मांगें कर रहे हैं, उसे पूरा करने के लिये कितने अनाज की आवश्यकता होगी?

पीडीएस का विस्तार : अनाज की जरूरत (लाख टन में)

हर माह प्रति परिवार की पात्रता (किलो में)	पात्रता 50 किलो होने पर (लाख टन में)	पात्रता 35 किलो होने पर (लाख टन में)
सर्वव्यापी पीडीएस (23 करोड़ परिवार)	138.0	96.6
सर्वव्यापी (संभावना : 70 फीसदी उठाव होने पर)	96.6	67.6
सर्वव्यापी (संभावना : 80 फीसदी उठाव होने पर)	110.4	77.3
अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी के मान से (15.4 करोड़ परिवार)	106.2	74.3
सक्सेना कमेटी के मान से (10 करोड परिवार)	69.0	48.3
तेंदुलकर कमेटी के मान से (7.4 करोड परिवार)	51.2	35.8

यानी हमें 96.6 लाख टन या ज्यादा से ज्यादा 138 लाख टन अनाज की जरूरत होगी।

हम जो मांगें कर रहे हैं, क्या उन्हें पूरा करने लायक अनाज देश में है भी या नहीं ?

बिल्कुल है!!!!! विस्तारित पीडीएस के लिये सरकार को मौजूदा उत्पादन के सिर्फ आधे की जरूरत पड़ेगी।

विस्तारित पीडीएस : खाद्यान्न की उपलब्धता

उत्पादन (लाख टन में)	कुल अनाज	कुल दालें	कुल खाद्यान्न	कुल अनाज (बीज, बर्बादी आदि 12.5 फीसदी अनाज को घटाकर)
2005.06	195.21	13.39	208.6	170.8
2006.07	203.08	14.2	217.28	177.7
2007.08	216.02	14.76	230.78	189.0
2008.09	219.22	14.66	233.88	191.8

- अनाज की कुल उपलब्धता (बीज, बर्बाद, चारा के लिए 12.5 फीसदी को घटाकर) वर्ष 2005–06 से 2008–09 तक 170.8 लाख टन से 191.8 लाख टन के बीच रही है।
- देश के हरेक परिवार को 50 किलोग्राम अनाज देने वाली सर्वव्यापी पीडीएस के लिए कुल 138.0 लाख टन अनाज की जरूरत है। फिर भी कहीं ज्यादा वास्तविक अनुमान यह है कि यदि यह माना जाए कि इसका 70 फीसदी ही उठाव होगा, जो करीब 96.0 लाख टन होता है, 80 फीसदी उठाव होने पर 110.0 लाख टन और अर्जुनसेन गुप्ता कमेटी के गरीबी अनुमानों को माने तो करीब 106.0 लाख टन अनाज की जरूरत होगी।
- यह देश की मौजूदा अनाज उत्पादन का करीब 60 प्रतिशत बैठता है, यानी सबकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये देश में अनाज तो है।

सर्वव्यापी पीडीएस के लिये कितनी दालों की जरूरत होगी?

23 करोड़ परिवारों के लिए (23 करोड़ 5.25 किलो परिवार प्रति माह12 महीने) = 1.46 करोड़ मीट्रिक टन दालों की जरूरत होगी।

दालों का मौजूदा उत्पादन 1.39–1.47 करोड मीट्रिक़ टन है। जो सर्वव्यापी पीडीएस की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। सर्वव्यापी पीडीएस में अगर 80 फीसदी लोगों को दालें मिलती है तो करीब 1.15 करोड़ टन दालों की जरूरत होगी।

इसका मतलब है कि हमारे कुल दलहन उत्पादन का 80 प्रतिशत चाहिए।

देश में दलहन का उत्पादन गंभीर संकट में है। निवेश में कमी के चलते उत्पादन स्थिर है। अगर सार्वजनिक वितरण में दालें नहीं दी जायेंगी तो इनका उपभोग घटता जाएगा और कुपोषण बढ़ेगा। अगर दालों का उचित और स्थिर दाम रहे तो

इसका उत्पादन बढ़ सकता है।

राशन प्रणाली के जरिए बंटने वाली दालों की मात्रा भी धीरे–धीरे करके अगले 5 साल में 1.5 किलो प्रति व्यक्ति तक बढ़ाई जा सकती है।

सर्वव्यापी पीडीएस के लिये कितने खाद्य तेल की जरूरत होगी?

खाद्य तेलों की जरूरत

- 23 करोड़ परिवारों को खाद्य तेल की जरूरत गुणा हर महीने परिवार को 2. 8 किलो तेल गुणा 12 महीने = 77.3 लाख मीट्रिक टन
- 80 फीसदी खपत की दशा में यह जरूरत करीब 61.8 लाख टन बैठेगी।

क्या इतना खाद्य तेल उपलब्ध है ?

पिछले 4 साल के औसत के मुताबिक घरेलू उत्पादन से तेल की उपलब्धता करीब 82 लाख टन है और आयात को जोड़कर वर्ष 2009–10 में कुल उपलब्धता करीब 183 लाख टन है (अनुमानित)। हमें सर्वव्यापी पीडीएस के लिये सिर्फ 75 प्रतिशत घरेलू तेल उत्पादन की जरूरत पड़ेगी।

खाद्य तेल की उपलब्धता

तेल उत्पादन वर्ष (नवम्बर–अक्टूबर)	तिलहन का उत्पादन	सभी देशज स्रोतों से उपलब्ध तेल की मात्रा	खाद्य तेल का उपभोग (देशज और बाहरी आयात को मिलाकर)
2000-01	184.40	54.99	96.76
2001-02	206.63	61.46	104.68
2002-03	148.39	46.64	90.29
2003-04	251.34	71.40	124.30
2004-05	243.54	72.47	117.89
2005-06	279.99	83.16	126.04
2006-07	242.89	73.70	115.87
2007-08	297.55	86.54	142.62
2008-09	281.57	85.89	183.00

पीडीएस के सर्वव्यापीकरण से खाद्य सुरक्षा बढेगी?

जी हां, मध्य अवधि के दौरान खाद्य फसलों का उत्पादन बढ़ेगा।

- अगर खाद्यान्न की सरकारी खरीद बढ़ती है और किसानों को उचित दाम मिलता है तो इससे किसानों को एक पुख्ता बाजार मिलेगा जो उत्पादन को बढ़ावा देगा।
- फिलहाल कुल उत्पादन का सिर्फ 25.8 फीसदी अनाज की ही सरकारी खरीद की जाती है। पीडीएस के जरिए कुल उपलब्ध अनाज का सिर्फ 18.9 फीसदी ही वितरित होता है।

सर्वव्यापी पीडीएस मुहैया कराने के लिये सरकार को कितने धन की जरुरत है ?

	50 किलो प्रति परिवार प्रति माह के लिए	35 किलो प्रति परिवार प्रति माह के लिए
गेहूँ और चावल का औसत दाम प्रति किलो (रूपये में)	16	16
प्रस्तावित कानून दाम	3	3
प्रति किलो नेट छूट	13	13
हर महीने मिलने वाला अनाज (किलो में)	50	35
हर माह में हर परिवार को मिलने वाली छूट (रूपये में)	650	455
हर परिवार को सालाना छूट (रूपये में)	7,800	5460
23 करोड़ परिवारों को सर्वव्यापी पीडीएस पर खर्च (करोड़ रूपये में)	1,79,400	1,25,580
70 फीसदी उठाव की स्थिति पर खर्च (लाख करोड़ रूपये में)	1,25,580	87,906
80 फीसदी उठाव की स्थिति पर खर्च (लाख करोड़ रूपये में)	1,43,520	1,00,464

सर्वव्यापी पीडीएस मुहैया कराने के लिये सरकार के पास कितने आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता है ?

अमेरिका, स्वीडन आदि जैसे कई अमीर देशों के मुकाबले भारत में टैक्स और जीडीपी का अनुपात काफी कम है। भारत में यह 18ः है जबकि अमेरिका में 28ः और स्कैन्डेनवियन देशों में 45—50 ः है।

इस बेहद सीमित टैक्स दर पर भी भारी छूट दी जाती है। वर्ष 2009—10 में केन्द्र सरकार के टैक्स (आयकर, कार्पोरेट आयकर, एक्साइज व कस्टम) में कुल 5,02,229 करोड़ रूपये की टैक्स छूट दी गई थी। जो कि कुल टैक्स संग्रह का 79.54ः है। इसी तरह 2008—09 में 4,14,099 करोड़ रूपये (यानि कुल टैक्स संग्रह का 68.59 ः) की छूट दी गई थी। बजट दस्तावेज उक्त राशि को वास्तविक से कम होने की संभावना भी दर्शाते है।

यह छूट खाद्य मौजूदा खाद्य सबसिडी से लगभग 11 गुना ज्यादा है।

सर्वव्यापी पीडीएस ः फंड की उपलब्धता

- 2009—10 में कार्पोरेट आयकर में दी गई छूट 79554 करोड़ रूपये थी, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 13000 करोड़ रूपये ज्यादा है।
- 2009—10 में वैधानिक कार्पोरेट आयकर मुनाफे का 33.99 प्रतिशत है, परन्तु कम्पनियों के लिए वास्तविक कर मात्र 22 प्रतिशत रहा।
- सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां निजी क्षेत्र के मुकाबले ज्यादा टैक्स चुकाती हैं।
- 500 करोड़ से अधिक मुनाफे वाली बडी कम्पनियों ने सबसे कम टैक्स चुकाया।
- एक्साइज में 16 प्रतिशत के बजाए 8 प्रतिशत ही दर लगाई गई।
- मात्र सोना, हीरा और आभूषणों में कस्टम डयूटी पर छूट 39769 करोड़ रूपये तक रही।

यह धनराशि 'मनरेगा' को मिले बजट के लगभग बराबर ही है।

बच्चों के भोजन और पोषण के अधिकार

बच्चों के भोजन का अधिकार का कानून में क्या कोई स्थान है ?

यह सर्वमान्य तथ्य है कि बच्चों में कुपोषण व मातृ मत्युदर के मामले में देश की स्थिति बहुत गंभीर है। परन्तु प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून में इनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

मौजूदा खाद्य योजनाओं में जहां सुप्रीम कोर्ट की ओर से हक दिए गए है, उनकी भी इस प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून में अनदेखी की जा रही है।

शिशुओं की जरूरतें क्या हैं?

- जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान की शुरूआत
- 6 माह की उम्र तक केवल स्तनपान का व्यवहार

शिशुओं की पोषण सुरक्षा के क्या मायने है?

1. शिशु और छोटे बच्चों के भोजन के संदर्भ में कौशलपूर्ण सहायता और सलाह का दिया जाना।
2. बच्चे के जन्म के 6 माह बाद तक माता को आर्थिक और पोषण सहायता दिया जाना।
3. समुदाय और कार्यस्थल पर समस्त सेवाओं और सामग्री सहित झूलाघर।

बच्चों के भोजन के अधिकार के लिए कानून में क्या होना चाहिये?

- आईसीडीएस केन्द्रों और स्कूलों में जन्म से लेकर कक्षा 10 तक के बच्चों को भोजन।
- प्रस्तावित कानून में दिए गए पोषण के लिए न्यूनतम मानक पर पका गर्म खाना।
- व्यवस्थित ढ़ांचा–इमारत, पेयजल, शौचालय, उपकरण पर्याप्त स्टाफ।
- स्कूलों और आईसीडीएस केन्द्रों में स्वास्थ्य परीक्षण ठेकेदारों से काम न हो।

सर्वव्यापी आईसीडीएस

- 0–6 वर्ष के उम्र के सभी बच्चों को पूरक पोषण, टीकाकरण, चिकित्सा परीक्षण, स्कूल पूर्व शिक्षा, नवजात शिशुओं की माताओं को सलाह और छोटे बच्चों को भोजन।
- दुग्धपान के लिए मदद और परामर्श।

- बाजार के तैयार शिशु आहार को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये।
- साप्ताहिक राशन।
- गंभीर कुपोषण की पहचान और इलाज।

सामाजिक रूप से वंचित लोगों के भोजन और पोषण के अधिकार

सामाजिक रूप से वंचित लोगों के भोजन के अधिकार के लिये इस कानून में क्या होना चाहिये?

इस कानून को सबसे कमजोर वर्गों के अधिकारों को पहचानना चाहिए। इनमें बुजुर्ग, शारीरिक रूप से विकलांग, एड्स, टीबी जैसी बीमारियों से पीड़ित लोग, एकल महिला, भिखारी, बंधुआ मजदूर, आदिम आदिवासी, बेघर और लावारिस बच्चे आदि शामिल हैं। इन लोगों को अंत्योदय कार्ड मिलने चाहिए।

अंत्योदय कार्ड धारक के लिये इस कानून में क्या प्रावधान होने चाहिये?

- सभी अंत्योदय कार्ड धारकों को आधे दाम पर राशन मिले।
- बूढ़े और कमजोर लोगों को पका हुआ गर्म खाना मिले।
- आईसीडीएस और मातृत्व सुविधा के लिए खाद्यान्न कोटे को दोगुना किया जाए।
- वृद्धावस्था पेंशन 1300 रूपये महीना हो।

अन्य विशेष वर्ग के लोगों के लिये इस कानून में क्या प्रावधान होने चाहिये?

- प्रवासी, शहरी बेघर, झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को विशेष वर्ग में शामिल किया जाए, जिनके लिए खास इंतजाम किए जाने हैं।
- आपदा पीड़ितों को अंत्योदय कार्ड दिए जाए और तुरन्त दोगुना हक मिले।
- बुजुर्गों, एकल महिलाओं और विकलांगों को 1300 रूपये महीना पेंशन मिले।
- छह महीने तक 1000 रूपये महीना मातृत्व सुविधाओं के लिए मिले।

भोजन के बजाए कूपन या नकद

क्या भोजन के बजाए कूपन या नकद दिया जाना चाहिये?

बिल्कुल नहीं! 'रोजी–रोटी अधिकार अभियान' भोजन और अनाज के स्थान पर नकद दिए जाने के विचार को नकारता है। नकद धनराशि कभी भी खाने की जगह नहीं भर सकती है।

भोजन के बजाए कूपन या नकद क्यों नहीं दिया जाना चाहिये?

- भोजन की कीमत लगातार बढ़ रही है, और जब तक सरकार भोजन के बजाए मिलने वाले नकद राशि की दरों में संशोधन करेगी, इसका वास्तविक मूल्य काफी गिर चुका होगा।
- भोजन के बजाए मिलने वाले नकद को परिवार का मुखिया किसी दूसरे कामों जैसे– शराब, जुआ या फिर भोजन के बजाए दूसरी गैर जरूरी चीजों की खरीद पर खर्च कर सकता है।
- जन वितरण प्रणाली दो तरफ से काम करती है– एक खरीद पक्ष और दूसरा वितरण। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न की खरीद किसानों को अनाज उत्पादन की दिशा में प्रोत्साहित करेगी। इसकी जगह नकद भुगतान की व्यवस्था लाने का मकसद होगा कि अनाज की पैदावार को कम प्रोत्साहन मिलेगा, जिसका नतीजा यह होगा कि देश में अनाज उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होगा।

महिलाओं के लिए क्या इस कानून में कोई विशेष प्रावधान होने चाहिये?

जी हां, हम चाहते है कि राशन कार्ड परिवार की महिला के नाम पर बने (प्रस्तावित कानून इस पर राजी है)

व्यवस्था संबंधी पहलू

भ्रष्टाचार और खाद्यान्न की चोरी रोकने के लिये क्या किया जाना चाहिये?

- एक बेहतर विकेंद्रीकृत समाधान व्यवस्था खड़ी की जाए, जिसमें सभी उल्लंधन संज्ञेय और गैर–जमानती अपराध माने जाए।
- इन्हें आपराधिक मामले माना जाए।

- जिनमें अपराधकर्ता के लिए कड़े दंड और जुर्माने का प्रावधान हो। जबकि पीड़ित को मुआवजा देने की व्यवस्था हो।
- व्यवस्था में पारदर्शिता और सघन सामुदायिक निगरानी सुनिश्चित करना।

सरकार को स्वप्रेरणा से क्या कदम उठाने चाहिये?

- सरकारी खाद्यान्न/पोषण योजनाओं में रसोइये और सहायकों के 50 प्रतिशत पद दलितों, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के लिये सुनिश्चित किये जायें।
- राशन दुकानों और आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना के लिये दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों की बसाहटों/बस्तियों को प्राथमिकता दी जाये।

संक्षेप में हमारी मांगें

- एपीएल–बीपीएल खत्म करें और सभी के लिये हो सस्ता अनाज।
- प्रतिव्यक्ति 14 किलो अनाज, डेढ़ किलो दाल और 800 ग्राम तेल का प्रावधान करते हुये पोषण सुरक्षा दी जाये।
- पीडीएस की खरीदी का व्यापक विस्तार हो और इसके जरिये खेती को संरक्षण दिया जाये।
- स्थायीय खरीदी और वितरण की व्यवस्था के साथ वितरण भी विकेन्द्रीकृत हो।
- बच्चों के भोजन और पोषण के अधिकार सुनिश्चित किये जायें।
- वंचित एवं बहिष्कृत के लिए विशेष अधिकार।
- नकद हस्तांतरण पर रोक।
- महिला के नाम से राशन कार्ड।
- प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली का गठन जिसमें सजा, जुर्माना एवं मुआवजे का प्रावधान हो।
- स्वप्रेरणा से दलित आदिवासी और अन्य वंचित समुदायों के लिए विशेष कदम उठाये जायें।

References (स्रोत)

- Agricultural Statistics at a Glance, 2009, Directorate of Economics & Statistics, Department of Agriculture & Co-operation, Ministry of Agriculture, Government of India. Reportavailableat

  http://dacnet.nic.in/eands/latest_2006.htm
- Annual Report of Ministry of Food, Consumer Affairs and Public Distribution, 2009 and Economic Survey 2009-10
- Economic Survey of India, 2008-09, 2009-10
- Union Budget 2010 (Receipts)
- Recommended Dietary Allowances for Indians, ICMR, 1988-89

रोजी–रोटी अधिकार अभियान

''रोटी–रोटी अधिकार अभियान'' उन संगठनों और व्यक्तियों का एक अनौपचारिक ताना–बाना है जो भारत में रोजी–रोटी के अधिकार को बहाल करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। हमारी राय में सभी नागरिकों को भूख और कुपोषण से मुक्ति का मौलिक अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार को हासिल करने के लिए न केवल समतामूलक और स्थायी खाद्य व्यवस्थाओं की आवश्यकता है वरन् आजीविका की सुरक्षा जैसे रोजगार का अधिकार, भूमि सुधार और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित अधिकार देना भी जरूरी है।

हम मानते है कि ये हकदारियां बहाल करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य की है। इस जिम्मेदारी से बचने के लिये वित्तीय संसाधनों की कमी का बहाना स्वीकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान संदर्भ में, जबकि जनता की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करना राजनैतिक प्राथमिकता में नहीं है, राज्य के अभिप्रयोग (हस्तक्षेप) स्वयं प्रभावी लोकप्रिय संगठन पर निर्भर हैं। इस प्रक्रिया को सभी जनतांत्रिक उपायों से आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

आभार

प्रकाशक – रोजी–रोटी अभियान द्वारा संचालित की गई उन सभी प्रक्रियाओं, रैली, धरना, बैठकों, आदि में शामिल प्रतिभागियों के विमर्श और उनकी समीक्षाओं/प्रतिक्रियाओं एवं अभियान से इतर चले इलेक्ट्रानिक संवादों का आभारी है।

अंग्रेजी में तैयार मूल प्रवेशिका का हिन्दी में अनुवाद सचिन जैन और अजीत सिंह ने किया है।

''रोजी-रोटी अधिकार अभियान''

निम्न समूह ''रोजी–रोटी अधिकार अभियान''के स्टेरिंग कमेटी के रूप में हैं–

1. नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन वूमेन (NFIW)
2. ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क (HRLN)
3. पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL)
4. नेशनल अलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेन्ट (NAPM)
5. जन स्वास्थ्य अभियान (JSA)
6. नेशनल कैम्पेन फॉर पीपुल्स राइट टू इन्फार्मेशन (NCPRI)
7. भारत ज्ञान विज्ञान समिति (BGVS)
8. नेशनल कैम्पेन कमेटी–अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स (NCC-USW)
9. नेशनल कैम्पेन फॉर दलित ह्यूमन राइट्स (NCDHR)
10. नेशनल कानफेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गनाइजेशन (NACDOR)
11. न्यू ट्रेड यूनियन इनीशियेटिव (NTUI)
12. फार्मर 'सपोर्ट ग्रुप' ऑफ द राइट टू फूड कैम्पेन
13. ब्रेस्टफीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया (BPNI)
14. राज्य अभियानों के प्रतिनिधि

सम्पर्क

सचिवालय, रोजी-रोटी अधिकार अभियान

5 ए, जंगी हाउस, शाहपुर जाट, नई दिल्ली–110049
फोनः 011–26499563
ई मेल : righttofood@gmail.com, www.righttofoodindia.org

सर्वोच्च न्यायालय आयुक्त कार्यालय

बी–102, प्रथम तल, सर्वोदय एन्क्लेव, नई दिल्ली–110017
फोनः 011–26851335, 26851339
ई मेल : commissioners@vsnl.net,
www.scccommissioners.org